

दिनांक 19.01.2026 को पूर्वाह्न 09.30 बजे सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

---

विभागीय समीक्षा बैठक में निम्नांकित निदेश दिये गये:—

1. दिनांक 12.01.2026 को आयोजित बैठक की कार्यवाही में दिये गये सभी निदेशों का अनुपालन अगली साप्ताहिक बैठक से पूर्व करना सुनिश्चित करें।  
अनु०—संबंधित सभी पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग
2. बेल्ट्रॉन के द्वारा Khanansoft Portal, VLTS Portal एवं खनन से संबंधित अन्य एप्लीकेशन/Outlay का टेक्निकल ऑडिट का अनुश्रवण का कार्य अगली बैठक से पूर्व पूरा करने का निदेश दिया गया।  
अनु०— उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
3. IMMIS (Integrated Mining Management Information System) के E-proc portal एवं Parivesh पोर्टल का API Based access हेतु संबंधित विभाग/मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर कार्य निष्पादित करने का निदेश दिया गया।  
अनु०— निदेशक, खान
4. Khanansoft Portal एवं VLTS Portal का सभी मूल दस्तावेज यथा Functional Requirement Specification (FRS) एवं Software Requirement Specification (SRS) सहित अन्य सभी दस्तावेज NIC से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।  
अनु०— आई०टी० मैनेजर
5. NISG में वृहत खनिज/अन्य संबंधित मामलों के लिए Senior Consultant का Service requirment contract में है—उसके लिए NISG से प्राप्त कर सुनिश्चित करवाएँ।  
अनु०—श्री आनंद प्रकाश, स० नि० (मु०)
6. सामान्य प्रशासन विभाग के तर्ज पर विभाग में सुधारात्मक कार्य की प्रगति संबंधी प्रस्तुतीकरण तैयार करने का निदेश दिया गया।  
अनु०—श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी
7. iGOT-2 से संबंधित कार्यों को अगली बैठक से पूर्व पूरा करने का निदेश दिया गया।  
अनु०—आई०टी० मैनेजर
8. एस०बी०आई० कैप के बकाया भुगतान एवं NHAI को गया जिला में क्रशर स्थापना की अनुमति से संबंधित संचिका को Follow Up कर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया गया।  
अनु०—श्री विकास पासवान, सहायक निदेशक (मु०)
9. ई—सेवा इतिहास से संबंधित कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।  
अनु०—श्री सुनील चौधरी, संयुक्त सचिव/आई०टी० मैनेजर
10. क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी सेवा संवर्ग के ई—सेवा इतिहास से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।  
अनु०—अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

11. अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अनु०-अनुश्रवण कोषांग

12. क्रियाशील एवं अक्रियाशील संचिकाओं की सूची बनाने तथा प्रशाखाबार प्रस्तुतीकरण में Scanned लेटर को भी अंकित करने का निदेश दिया गया।

अनु०- सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी

13. M-Junction एवं बालू मित्र से संबंधित कार्यों अगली बैठक से पूर्व पूरा करने का निदेश दिया गया।

अनु०- जी०एम०, बी०एस०एम०सी०एल०

14. मॉनिटरिंग सेल को सभी संबंधित बालूघाटों का Online Return शनिवार तक Upload कराने का निदेश दिया गया। Online Return Upload नहीं करने की स्थिति में ई-चालान बंद किया जा सकता है, इसकी सूचना सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को देने का निदेश दिया गया।

अनु०- श्री शंभु प्रसाद शाहू, खनिज विकास पदा०

15. बिहारी योद्धा को प्रचारित करने एवं इसका effective use का निदेश दिया गया।

अनु०- श्री शंभु प्रसाद शाहू/श्री सचिन प्रकाश, खनिज विकास पदा०

16. वन अधिकारी (संविदा) की नियुक्ति का कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

अनु०- महाप्रबंधक, बी०एस०एम०सी०एल०

17. मुख्यालय/निगम में आउट सोर्स से कार्य करने वाले कर्मियों यथा डाटा इंट्री ऑपरेटर, चालक एवं कार्यपालक सहायक आदि के वेतन के भुगतान अद्यतन करते हुए उक्त के उपरान्त कर्मियों के खातों में अंतरण का प्रत्येक महीने का साक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

18. आउट सोर्स के मामलों में नया लेबर कोड में वर्णित प्रावधानों को लागू करने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

19. कोयला के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना यथाशीघ्र बनाकर उसपर कार्य करने एवं निकटवर्ती राज्यों में सी०आई०एल० से कोयला उठाव एवं वितरण से संबंधित किस तरह के कार्य प्रणाली को व्यवहार में लाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक से पूर्व कार्य पूरा करने एवं प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया गया।

अनु०- महाप्रबंधक, बी०एस०एम०सी०एल०

20. विभागीय कार्यवाही की समीक्षा के क्रम में लंबित मामलों का ब्यौरा अगली साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग

21. सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवान्त लाभ के लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में खनिज विकास पदाधिकारी से पत्राचार करने तथा अगली बैठक से पूर्व कार्यों को पूरा करने का निदेश दिया गया। श्री सुनील चौधरी, संयुक्त सचिव को सप्ताह में एक दिन क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण एवं भ्रमण करने का निदेश दिया गया।  
अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
22. सेवा संपुष्टि से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का शत-प्रतिशत डाटा प्राप्त कर पूरी सूची बनाने का निदेश दिया गया।  
अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
23. प्रोन्नति/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० से संबंधित मामलों में क्षेत्रीय स्थापना की पूर्ण सूची बनाने तथा अगली बैठक से पूर्व कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।  
अनु०- अपर सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी
24. सभी सेवा संवर्ग का Universal data बनाने तथा HRMS का सभी कर्मों से संबंधित डाटा निकालकर अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।  
अनु०- अपर सचिव/संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग/आई०टी० मैनेजर
25. HRMS में तकनीकी गड़बड़ी तथा आवंटन के अभाव में कर्मों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसका समाधान शीघ्र कराया जाय।  
अनु०-संयुक्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग
26. AEBAS के तहत मुख्यालय, निगम तथा जिला खनन कार्यालय में पूर्ण रूप से Biometric System लागू करने तथा जिला खनन कार्यालय में Biometric उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के निदेश के अनुरूप संचिका स-समय उपस्थापन हेतु निदेश दिया गया।  
अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
27. अनुकम्पा से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिस जिले में अनुकम्पा से संबंधित मामला लंबित है वहाँ के समाहर्ता से पत्राचार कर मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।  
अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
28. लोक लेखा समिति में लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त करने तथा वर्ष 2019 के बाद के लंबित आई० आर० का निष्पादन का निदेश दिया गया। साथ ही मुख्यालय से संबंधित मामलों के आई० आर० की जानकारी प्राप्त कर निष्पादन करवाने का निदेश दिया गया।  
अनु०- अवर सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खान एवं भूतत्व विभाग
29. ईटभट्टा तथा खनन कार्य करने में शामिल व्यक्तियों की सूची खनिज विकास पदाधिकारी से प्राप्त करने तथा आई० डी० कार्ड तैयार किये जाने हेतु प्रपत्र बनाने का निदेश दिया गया।  
अनु०- श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदा०

30. खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के बच्चे को DMF से लाभ अधिक-से-अधिक मिल सके, इस हेतु शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार करने हेतु निदेश दिया गया।

अनु०- श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदा०

31. कार्य विभागों में सभी परियोजनाओं में लघु खनिजों के ई-चालान का सघन जाँच कराने का निदेश दिया गया।

अनु०- श्री आनंद प्रकाश, सहायक निदेशक (मु०)

32. राजस्व समाहरण के दृष्टिकोण से विभाग में कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की जाँच हेतु पूर्व की भांति दो माह के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (संविदा) की सेवा लिये जाने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

33. भारत सरकार से उच्च स्तर पर प्राप्त डी०ओ० लेटर के अनुपालन में भेजे जाने वाले पत्र की सूचना मुख्य सचिव कार्यालय, बिहार को भी दिये जाने का निदेश दिया गया।

अनु०- सभी प्रशाखा पदाधिकारी

34. खनन कार्य में AI, GPS, Satellite आधारित उन्नत तकनीक का बेहतर उपयोग किस तरह किया जायेगा। इस संबंध में BIRSAC जाकर विश्लेषण करने एवं अगली बैठक में इससे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

अनु०-श्री वैद्यनाथ सिंह, नवनीत कुमार एवं राहुल कुमार मेहता

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-

(दिवेश सेहरा)

सचिव

सं०स०-विविध (बैठक)-07/2024 .....761..... /एम०, पटना, दिनांक-30.01.2026

प्रतिलिपि- सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/महाप्रबंधक, बी०एस०एम०सी०एल०/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/सभी सहायक निदेशक (मु०)/सभी खनिज विकास पदाधिकारी (मु०)/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव  
30/1/26  
सरकार के अवर सचिव